



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19870

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1171/2026

शुभम मिश्रा और 24 अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:रामनाथ

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाथ, वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं। इस याचिका में परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश मांगा गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2/पुलिस प्रशासन महानिदेशक, लखनऊ को यह आदेश और निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करें। याचिका में अंतर्निहित दोष होने के कारण, इसे वापस लेने की अनुमति इस शर्त के साथ मांगी गई है कि याचिकाकर्ता बेहतर विवरणों के साथ नई याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, इस रिट याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

एन0एस0राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”